SHRI PRAGADA KOTAIAH: Kindly permit me. I would like to know...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): On which matter are you speaking? The House has given him permission to withdraw the Resolution.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: What are the steps they have taken? Have they resulted in the reduction of cotton yarn prices? And what are the steps I hey propose to take to help the hand loom weavers in distress?

. . *(Interruptions)*.. .

RESOLUTION RE. MEASURES TO TACKLE INCREASING CRIMES IN THE COUNTRY, PARTICULARLY AGAINST WOMEN

SHRI VIREN J. SHAH (Maharashtra): Sir, I beg to move the following Resolution:

"This House expresses its deep concern over the—

(i) increasing incidents of rape, molestation, abduction, kidnapping and a'rocities being committed on women in various parts of the country and even in the police custody;

(ii) illegal detention and torture by the police which has become a way of life;

(iii) failure of Governmental machi'-nery, coupled with judicial delays to protect the life, honour, self-respect and dignity of women in the country; and

with a view to improving the status of women, safeguarding their honour and dignity in the country, this House urges upon Government to take immediate steps to revamp the police and legal machinery to ensure that—

(a) our laws respect the principle of equality,

(b) our laws are written in the local languages of the people;

(c) they assume the responsibility for informing the citizens of their basic rights;

(d) our laws are made sensitive *to* the specificities of the local situation;

(e) most of the cases are decided locally so that people, especially wo men are saved from expensive com muting to seek redressal;

(f) every case is decided within a period of six months because justice delayed is justice denied;

(g) judges become intimately familiar with local customs and usages;

(h) police dministration is reoriented and reorganised so that the police help the victims of atrocities and do not continue to be perpetrators;

(i) the persons involved and the police officials found guilty are given exemplary punishment;

(j) victims of atrocities and torture, etc, at the hands of police and other are adequately compensated; and

(k) women organisations and women Members of Legislatures are closely associated in making and implemtnting the laws relating to women."

During the last two years a,t least in this very House there were eight questions of mine on this very subject. The hon. Minister has given a lot of data. I am going to look at some specific points arising out of these. There is a rape every eighteen hours, molestation of women every seventeen hours and eve-teasing every four hours. This is. the ugly face of Delhi, the crime capital of India. But, these are only the reported cases. Delhi has been described even *in* a newspaper article as "the sex-crime capital of India." Thes* are based only

on recorded cases, Delhi was so described in the "SUNDAY OBSERVER" of January 9—15, 1994.

In reply to a question of mine, Mr. Sayeed replied that in the capital there were about 7,000 cases of criminality against women, including 631 rape cases which were reported during the last three years, according to the report available, with the National Crime Records Bureau.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): Are you disputing that?

SHRI VIREN J. SHAH: Are you going to reply later? I am not disputing it, Mr. Sayeed. I am sure, you realise that this is a matter of grave importance. It is not a political question. I concerns the humanity of every human being, be he a Member of Parliament on one side or the other or somebody else. I am sure, you are going to give equal im-portance. I am mentioning that this is the reply given by you. 1 am quoting the Minister of State for Home. My submission was that these were the re-ported cases. I am not isputing it. There are many unreported cases, quite large in number.

The Supreme Court is also seized of several incidents. The Supreme Court has recently made a very strong indictment I am not going to refer to those mattes which are still sub ju*dice.*

I am just going to refer to a very few newspaper reports, as examples. I again say that out of 100 cases, may be five or ten cases or even less are reported. I am talking of them at the All-India level.

The "INDIAN EXPRESS" of the 24th April, 1994 reports a distressing case of violence against a woman. This is something on which every Indian should have hanged his head in shame. A young woman was raped. The rapist did not stop at that. He blinded her, cut off her tongue and hands. The purpose was not mere Badism but also so that she could not, in any way, give evidence or identify him. Without sight she could not read his name if it was put in front of her without her hands there was no way to write, without a tongue, no way to speak. There was the problem of evidence before the court. This is the situation.

In the "INDIAN EXPRESS" of the 1st of May, *1994,* there is a case. The article is entitled "Unknown father *ot* all crime... I am not going into it. The 22nd April 1994 *indian Express* repor-ted that an Australian woman was kidnapped in a moving car on the outer circle of the Connaught Circle. Here 1 want to say something. The Governments of lndia and Japan have appointed a India-Japan Study Committee of which I am a member for the last five, six years. Mr. Manmohan Singh was the Chairman earlier and many others were there. The Chairman of the Japan Committee is a former Prime Minister of Japan. We had a meeting recently, talking about development of tourism. The Japanese side mentioned that tourism could be encouraged not just by providing infrastructure but by providing security and safety of the tourists. They cited the cases of the Japanese tourist women in Delhi being harassed. This is an example only. There is another case The Pioneer of 24th April reported the case of a Banwari woman. A Banwari woman, who was raped, went to a Police station. The SHO asked her for medical report. She went to the primary health centre where she was asked to go to Jaipur. At the main hospital, she was asked to produce an order of the Magistrate before she could be medically examined. Why I am saying all this is to piont aut the importance of this so that we can find a solution. There is no mere finding fault right now. She went to the Magistrate. After two days, a test was done. But the Deputy Superintendent of Police refused to register a case of rape.

Then, there is la case of detention and tourture of a woman in the police suc-tody. The' 28th April, 1994 issue of The

Hindustan Times reported this. I am giving you only the recent cases. In this case the woman said that cops raped her in Delhi *The Observer* of 4th May, 1994 reported a case of the Government's apathy towards two rape victims and the delayed action againt the policemen, allegedly involved in an incident at Jabalpur in this, some policemen were involved and this is the apathy. *The Indian Express* reported a case, which was being probed by CBI, of a woman petitioner whose forehead was tattooed by the Amritsar police in December, 1993. Also there is a reported case in which 15 female noncriminal lunatics, who were kept in a jail for a long time, were ordered to be released from the Presidency Jail by the Calcutta High Court. They were kept there for the last many years. There are a large number of such unfortunate women languishing in the jails in various parts of the country. In the year 1974—the International Year of Women, I took up certain cases and wrote to 100 prominent women in the country about specific cases which took place in Bengal on women in the age group of 14-64 years Newspapers had reported specific names of guilty police officer* of inhuman tortures We have hardly moved in that direction. We are now in 1994. But we are no better off today than what we were at that time. So, judicial intervention, for the last two years, resulted in the release of some of them—107 in the case of the Presidency Jail. But they find themselves, in a great difficulty. There is an editorial in the *National Herald* of 12th March. 1994 to which I want to refer. It is title 1 as 'Capital punishment'. "The heart-rending experience of a 13-year-old girl....

..(व्यवधान) बलराम जाखड़ जी, मैं आपको अर्ज करूंगा यह मिनिस्टर को सुनने दें । मिनिस्टर साहब नहीं सुनेंगे तो ...(व्यवधान)

श्री पी. एम. सईद : मैं सुन रहा हूं

श्री विरेन जे. शाह : कैसे सुन रहे हैं जब बीच में बोल रहे हैं ।

'"The heart-rending experience of a 13-year-old girl at the hands of two criminals and, even more reprehensible and condemnable, the police of Samalkha. town..." was one of the cases to come up before the court. The police wanted her to withdraw the case against the rapists. The editorial says—it appiie, to all of us just now—"It is not enough to be shocked by these statistics. . " When these issues come up, all of us raise them in both the Houses of Parliament.. . Nor is it enough for the authorities to say they are seized of the problem, as they periodically say." But I am sure that this time, the Home Minister, in his reply, is not going to say that

THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR): How do you presume that?

SHRI VIREN J. SHAH: 1 presume be cause 1 credit him with some sensitivity That is why I presume that he will not say that. If he does say. 1 have to feel very sorry. And if you presume that he is going to say that, then it speaks volumes for you and home Minister. The *Times of lndia* of 8th March talked about the curse of being born as a female, particularly in a Dalit family in view of the cases of stripping of a Dalit woman in UP and the tattooing of four women by the Punjab police. Then, there is an editorial in the *Tribune* on 10th March, 1994 about the plight of the Nirmalas. I have mentioned this because these are specific cases. T quote:

'Amidst the euphoria surrounding International Women's Day (March 8) comes the harrowing tale of Nirmala, a 13-year-old girl working in a Delhi household She was being branded with a hair-dryer, beaten with iron roads and rolling pins etc.,

And rolling pins etc. Yes very little action has been taken. Now what is the result of this ? This is something.

[Shdi Viren J. *Shah]*

Mr. Vice-Chairman, we should take care of. For the first time on the 20th April, 1994, the Supreme Court has given a ruling that attempt to commit suicide is not a crime. Until now when a person attempted to commit suicide, it was considered as a crime. Why did the Supreme Court give this decision? What was the case? The case was of a woman who was raped, insulted and humiliated and she felt that she would have to face the ignaminy of undergoing an open trial in the court of the sexual violence committed on her which earlier might have been known only to a few would, and which would become widely known now and then she made an attempt to commit suicide. She was charged. The honourable Supreme Court acquitted her and laid down, "When such a woman attempts to commit suicide, it cannot be considered as a crime." The crime in such a case is to prosecute her and give the punishment.

I have today's 'The Times of India newspaper. It has been reported in the front page—I am going to read only two lines—"The Delhi High Court has summoned the city police and ordered medical examination of a woman who has alleged that she had been repeatedly tortured by some men... with the active connivance of the city police." The matter is sub-judice. I am not going to talk about it. But this is what has been reported in today's newspaper. As I said earlier, thousands of cases go unreported on account of two factors. One relates to the poor people. They do not go to the police station to make a complaint because they are afraid as to what would happen to them. I am going to cite a specific example known to me personally in one of the police stations located in the best locality of Bombay wherein a woman bank officer went to lodge an F.I.R. about a minor car accident. The police took no action. I had to intervene personally. She happened to be my niece. I know about that case personally. The police officer had refused to write a complaint. He was demanding some money. This polic station covers residences of the Governor, the Chief Minister, Ministers and others. If it-could happen in such a place, you can imagine the situation in jhuggis and jhopris and small villages. What would happen to the poor women? That is why I have submitted that thousands of cases go unreported. Similarly, a very large number of torture cases and dowry deaths go unreported.

Recently the honourable Minister, Mr. Sayeed has given a reply in Parliament regarding officially reported cases of dowry deaths during the year 1993. We are all aware of the fact that many go unreported. The number of cases of dowry deaths reported during the year 1993 in Uttar Pradesh was 1,952, in Maharashtra 746 Andhra Pradesh 575 and Delhi 107. Let us consider why such atrocities including those by the police occur and what should be the solution. Merely getting excited does not lead us anywhere. We must go into it and find out why this happens. I do not want to condemn the policemen and the police force a whole. I certainly condemn the action. But no one should condemn the entire police force because that is not right. We cannot run the country. So, why does it happen? To my mind, it happens because of apathy at various levels. We can also see that in this House or in the Press which do not show interest in reporting a matter like this. If there is a sensational matter, the House would be full, the Press gallery would be full and the newspaper would be full. But atrocities on women get no importance. For the first time a discussion is coming up on atrocities against women. There is apathy at the desision making level also. There is apathy at the level of senior officers also. There is

apathy at the level of Members of Parliament, Members of Legislature also. For a moment we get exci ted. Sometimes policemen are away or a long time from their families and this also leads to their lust getting better over their senses. It is universal. It happens all over the world. There is a psychological approach towards women. How do men look at women? As a sex object as chattel, as something available to satisfy their lust. We can-not deny certain realities. In India, particularly, what is happening is, there is refusal by police to register complaints. The police does not observe the legal processes including the Supreme Court directive. I will take two minutes to give an example.

I want to talk about the case of my own neice, sister's daughter-in-law. She went to register a case along with another female officer of the bank at 4.30 p.m. in the police station at Ganderi which is a posh area in Bombay. A scooter touched her car and the scooterist fell down. Nothing happened. They went to the police station. The Sub-Inspector, on his own, said, "Oh, that man is very much injured. You must pay Rs. 50,000l- and settle the matter." She said, "Why?". He said, "Do not let this woman go out. I am going there and coming back." She rang up my office. I happened to be there. Immediately. I requested someone to talk to the Asstt. Com-missionert of Police and a complain was registered. When they were leaving the compound, this man was coming back. He stopped them and asked, "How can you go?". Ultimately, he rang up that evening at 8.15 p.m.. By that time, I had communicated it to the Commissioner of Police in writing. At 8. 15, he talked to my sister and asked her to compromise and asked her to send my nice immediately to the police station even though it was late at night. He threatened that otherwise she would have to go to the court every day and she would lose her job. 1 again rang up the Commissioner of Police. There is a clear Supreme Court directive that no woman can be called to a police station after dusk and no woman can be kept in a police station after sun-set, without an order from the Magistrate. And, this is happening in the city of Bombay in the most posh area! One shudders to think what happens in the rest of India. Again pressure was brought. They registered the complaint against the Sub.Inspector to the Commissioner, to the Government and the Chief Minister and yet, the matter could not proceed because senior officers, finally exonerated the Sub-Inspector. My niece pad to go through that case or three ye3rs after which it was found that rl.ere was no case against her. This is our system and that is why people held to all these things.

There is shielding of the culprits by 'he police, by the higher-ups. Police officers protect their own people. And there is a slow and painful judicial process, including the easy availability of bail. The rape *case a* may go on attending courts for JO years. The culprit may get bail. And nowinete evidence could be produced after 10 years. A woman cannot go on. The National Com-misson for Women and several other organisations had made an in-depth study and made many recommendations. There is a Law Commission report which Justice D.A. Desai submitted 10 years back. I would urge upon the hon. Home Minister and the hon. Minister of State for Home to look into the archievs. There is this ten-year old Law Commission report, accepted but not acted upon. What is going on? Why is it not acted upon? I have known the hon. Minister of! State for many years. We went to the Lok Sabha together in 1967. He has the sensitivity not just to look into it, but to do some-thing about it. We have data about what could be done. In my own

[Shri Viren J. Shah]

Resolution, I have given certain suggestions. There are the recommendations of the National Commission for Women and the Law Commission. The need is to implement them and implement them quickly. The need is to act and act now, not just to give assurances that action would be taken. If you go through the last six years speeches, you will find Ministers' assurances, whichever party might have been in power. If you relate them to action taken, it is a matter of great sorrow, sadness. In the other areas you might not be taking decisions in time. But, here, this is a question of humanity. Women who are the most vulnerable are being persecuted. So, my suggestions would be. Firstly, implement quickly. Secondly, the Government should not delay action. It is the same thing. Thirdly, we must widely disseminate to individuals the rights of individuals, whether they are complainants or people taken into police custody. Both have rights given under the laws and those given by the Supreme Court. They should be given proper information through the Doordarshan and AIR that our laws are written in all the languages. Today, all over India, the people are watching Doordarshan programmes and listening to AIR. Even the people living in *jhuggis* in small towns are watching these programmes. In all the languages it should be told that women have such and such rights; the so-called accused have these rights; the police cannot do the following and so on. If it is made known, the situation might improve.

Then, the Law Commission has suggested, among other things, to set up Nyaya Panchayat. I suggest that Nyaya Panchayats with effective power should be set up in every tehsil so that the people do not have to go to the district court on the sessions court which is far away from the district headquarters.

There are many suggestions made by the National Commission for Women. 1 would mention only a few of them. The NWC has suggested that major changes should be made, amendments should be made in. the following laws; the Dowry Prohibition Act, 1961 the Indian Penal Code, the Criminal Procedure Code, the Indian Evidence Act and the Commission on Sati Prevention Act. But all the suggestions of the National Commission fox Women and its specific reports are stacked somewhere in the Government. Now they send them to the Ministry of Human Resource Development because that is the administrative Ministry. Between the Ministry of Hitman Resource Development and the Ministry of Law, it will again take a lot of time because the law has to be changed. Two years have passed. No one knows what the status of this Report is. Would the hon. Minister kindly find out and inform the House as to where those particular suggestions are right now held up and what steps you are taking to see that things move much, faster? After the Human Resot/ce Development Ministry, they will go to the Home Ministry. They will take their own time in drafting it. Then the Ministry of Law, as usual, will sit on it es long as they like. Could the Minister of State for Home, as a human being, see to it. that things move much faster and then, consider bringing all crimes against women under one law? That was also a suggestion. Bring all crimes against women under one law. Clear written directives with do's and don'ts' should be given to evey police station in their own language and also in English so that people can read them. Directives should also be given for not calling women to police stations after sunset, not keeping women in police custody after it becomes dark without proper magisterial orders and permitting the person brought to the police station to inform his or her relative,

friend 01 lawyer it is the Supreme Court order or directive. Sir, the Commissioner of Police of Delhi or the Joint Commissioner of Police said that they were not clear whether this is binding or not. Mr. Vice-Chairman, it is amazing to find the Joint Commissioner of Police saying this about the Supreme Court, and because of a Secretary of the Government of India and his son being beaten up, this got publicity. Then only action was taken. But what would happen if an ordinary person who is driving a car or a cycle is beaten up *or* if a rickshawala is beaten up? No news, no action. It happens every day. Law is supposed to be the same for all.

My last suggestion is that more powers should be given to the National Commission for Women. Today their power are very limited. They may be given more powers to direct the police for registring cases. Po wer should he given to the National Commission for Women for directing the police to register a case and pro ceed. Today they do not have the power to direct the police to regis ter a case and proceed. Simi larly,a State Commission for Women should be set up in every State with adequate and effective powers. A designated authority like police Ombudsman, whatever you like to call it, should be set up to re gister complaints against the police men for acts of misconduct, etc. I don't find any way to lodge a com plaint against a member of the police who refuse to do this without my writing to the Police Commissioner or taking it up with the Governor or the State Chief Minister. There was no way to register a complaint or an FIR. So, I am suggesting the setting up of an independent designated authority like a police Ombudsman with the power to register a com plaint against a policeman for his misconduct of various kinds,

Then I want only to say about the social consequences. What happens when justices is being denied? The people take law into their own hands to defend themselves. The most classic case is there in the latest issue of THE WEEK magazine, which is dated May 8, 1994. It is the day after tomorrow. That has come today. It carries a big article "ARMS AND THE WOMEN". The Delit Sena in Bihar teaches women how to use guns and make bombs. Detailed photograph are given there. The women are given training on how to use guns. I personally support this. When the authorities and the staff and the Government fail to protect women. women take law into their own hands to defend themselves. I am supporting it. It may be con-cidered illegal. It may be considered criminal. But it is much less criminal and much less illegal than what is happening at the hands of the police and others in the States. I will read only one sentence which a woman trainee says, "We do not want to the dependent on the police as they always side with the oppressors. I have prepared the women of my village to participate in the training camp." It goes on in great details.

Mr. , Vice-Chairman, in the end may I submit that it is for the Members of Parliament to take up this issue very seriously? There should be no party consideration. This should not he considered from any political angle. It is for the Members of Parliament as guardians, as elected representatives of the people of India. to safeguard the Constitution and the people. It is for the Members of Parliament to take up this; issue very serijusly and to see to it that suitable and early action is taken by the Governments, both Central and State. I am going to repeat it for the benefit of Miss Selja. It is for the Members of Parliament to take up this issue very seriously and to sec to it that suitable and early, action is taken by the Governments, both Central and State, to bring to an

[Shri Viren J. Shah]

end to these shameful and inhuman acts against women. I appeal to the Minister to formulate a time-bound piogramme of action. The Resolution of mine is comprehensive enough to provide guidelines, apart from the National Commission for Women's Report, the Law Commissions' Report and several other voluntary agencies' reports.

The question was proposed.

THE VICE-CNAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Shrimati Vyjayantlmala Bali. Do you want to speak from the front side? Then you please come to the front and speak.

SHRIMATI VJAYATIMALA BALI (Nominated): Sir, I am happy to be in this august House and to make my maiden speech. I support the Resolution moved by Shri Viren J. Shah which relates to the atrocities committed on women in the various parts of the country. I am glad that Mr. Shah, despite being a male, has moved this Resolution and I appreciate his deep understanding of the problems of women. Sir, when we go through the pages of the history of ancient India, we find that women had always been held in high esteem. Their ability to bring up a family, society or a country had been well recognised. The various feminine forms of the Almighty like 'Shakti', 'Kali', 'Lakshmi', "Vidya', etc. depict the sacred place given to women in this country. 'Ma' or 'mother' has been regarded as God in human form. Unfortunately, in spite of the glory attached to women in our society from time immemorial, of late, there has been a decline in the respect enjoyed *by* women. What do we attribute this to? Is it due to the traditional economic dependence of woman on man? Or is it because of her comparatively weak physique? Or is ft owing to the degradation of moral values in our society as a whole which, in turn, is a consequence of the reduction in the standards of moral education in our schools? Well, it seems to be the cumulative effect of all these factors. It is the male superiority, male domination, that makes women the target of evil think ing. Women are the victims of so ciety. They become commodities be cause society views them that way. There are feminist organisations and crusaders fighting relentlessly and untiringly against such horrifying, inhuman atrocities that women are subjected to. Where do we begin and how do we end this savage hu man behaviour? The condition of the common women is pathetic now. Should we continue with the ugly incidents of dowry-deaths, bride burning, individual rape, gang-rape, female infanticide, eve-teasing, and problems of unequal wages and fe male illiteracy, occurring all the *over* the country, happening all the time, increasingly? *Ts* it because Manu had said, "Woman is as foul as falsehood itself? Is it because the Shankaracharya of Puri objected to a woman reciting the Vedas? Ironi cally, the Manu Smriti also mentions of "the Gods residing where women are worshipped". Is it a falacy to day? Even today, the *Hindustan Times* carries a news item of self-immola tion by a 27-year old mother in Sion. Bombay. Mrs. Arvind Kaur has burnt herself and her six-month old child to death. The alleged tor-ture by her husband and in-laws for dowry is the cause. This is gathered from her dying declaration. There is another news item about the Madhya Pradesh Government offer ing compensation twice for a girl raped twice! Has a government the Madhya Pradesh Government. fixed rates of compensation for those unfortunate women who undergo the agony and embarrassment of rape by anti-socials? The report says that a Minister of the Government announced that normally the payment was Rs. 10,000/- but because the girl was raped twice, she would get Rs. 20,000/-

Isn't it ironical? What happens if she was raped more than that? Is she going to be compensated all the more for the humiliation and agony that she goes through? How do they equate the agony that a woman undergoes with monetary compensation? *(Interruptions)*

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh); That is why Lauretta Babbits are born.

SHRIMATI VYJAYANTLMALA BALI: I can cite another example of rape of an unfortunate woman and her death in the police lock-up. This happened in the case of Smt. Vasan.-tha when she was detained on 22-3-94 at Muthandikuppam Police Station in the Vallalar District of Tamil Nadu. The culprits have not been arrested till now. Here I would like to ask: Why do these... *(Interruptions)...*

SHRI J. S. RAJU (Tamil Nadu): It was because a lady is the Chief Minister of Tamil Nadu.

SHRIMATI VYJAYANTLMALA BALI: I beg your pardon.

SHU J. S. RAJU: It was because a lady is the Chief Minister of Tamil Nadu. That is why, the culprits were not anested.. . *(Interruptions).*

SHRIMATI VYJAYANTLMALA BALI: This incident happened in my Own State... *Interruptions).* . . It is happening all over the country. It is a shame and disgrace to our count ry. Here I would like to ask: Why do these incidents occur? Apart from the deficiency or the part of the law enforcing agencies—the so-called law enforceing agencies. I repeat—Ialso *see* a terrible degradation in the adherence to moral values in the society. Some politicians, in the pursuit of short-cuts to power, in dulge in dirty politics, involving casteism, fundamentalism of all kinds, rowdyasm, fanaticism and all other anti-social 'isms'. If there are any 'isms' left, they are bound to come up. This certainly affects the mind-frame of the youth which is young antl impresionable. This, to my mind, has played a very important role in our youth throwing to the winds what we have been considering 'social values'.

Coming back *to* the particular aspect of atrocities, I want to lay stress on two areas. One is the area of employment. In spite of the policy of the State that there should be no discrimination on the ground of sex, we *see* a lot of discrimination, especially on the rural side. In the villages, women labourers get only half the remuneration paid to men labourers, for the same type of work. Something should be done on a war-footing to remove this discrimination.

The second area is one which has not been touched by many. That is the area of family planning. Even here, women are the target of harassment. Almost all the family welfare activities, family planning activities, aim at women It is a fact known to all of us that the woman is not the person who decides the size of the family or how many children does she have. It is most unfortunate that a woman has no say in this matter. Invariably, it is the man who decides. But the target of family planning is women. And the worst part of it is, even the research in this particular field has women in mind. Take, for example, Copper-D or Mala-D. The target group is women. Almost all the new invasive medical procedures for family planning target women. Here, women are treated a? guinea-pigs and are subjected to experiments. I would request the hon. Minister to see if a change in the direction of research could be effected so as to make the male members subjects of such experiments.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Norplants for males.

SHRIMATI VYJAYANTIMALA BALI: Why not? It is a very good idea. 1 thank you. Let us fight for that. I do agree with Mr. Viren J. Shah that our laws should be made sensitive to the specificities of the local situation. A woman wronged cannot speak out to the same extent as a man wronged. There are certain social stigmas which get attached to a woman who speaks out on such occasions. This factor should always be borne in mind in the implementation of any law concerning women.

Also, the society has to put an. end to them. Stringent measures should be taken by collective action committees and organisations in every State at different levels since getting any justice from a court is just a mockery. Justice delayed is justice denied. We all are aware of this. Besides denying justice, it still carries on. The women are subjected to harassment and shattering experience. They have no way out. The evil the depraved, the molesters and the rapists should get severe punishment—they should not be allowed to get away. They deserve severe punishment—so that they cannot get away only to come back for more pleasure and beastly satisfaction to their appetite,

I appeal to you to inflict punishment on such depraved men and do away with the anti-women-slant social structure which is hostile and is bringing down the dignity and honour of women.

4.00 p. M.

नारी को अभागन कहा जाता है, लेकिन मैं कहती हूं कि नारी अभागन नहीं है, नारी वीरमणि है, नारी शक्ति है । इसलिए नारी को उचित सम्मान मिलना चाहिए ।

"Nari" has to be given that status and dignity which she richly deserves.

With these words, Sir, I thank you for allowing me to make my maiden speech, and I support the Resolution moved by Shri Viren Shah. Thank you, Sir.

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI (Gujarat): I wish you had also mentioned about what the ill-effects are of television and cinema on the kind of things happening.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Smt. Malti Sharma.

श्रीमती मालती शर्मा (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं माननीय सदस्य श्री वीरेन जे. शाह जी को धन्यवाद देना चाहती हू जिन्होंने बहनों पर होने वाले अत्याचार का विषय आज सदन के सामने रखा ।

महोदय, वैसे तो नारी के ऊपर होने वाले अत्याचारों की किस्में बहुत तरह की हैं और समय-समय पर इस सदन के सामने ऐसे अत्याचारों की कहानियां आ भी चुकी होंगी और आती रहती हैं, मेरी बहनें भी उस पर बोली हैं और मैं समझती हूं कि हमारी सरकार के मंत्रियों का जो स्वभाव है उत्तर देने का, जिस प्रकार से उत्तर आते हैं, उन सब की स्थिति के बारे में आप भी परिचित होंगे और मैं भी परिचित हूं । लेकिन मैं एक बात कह देना चाहती हूं कि नारी पर एक तरह के अत्याचार नहीं, तरह तरह के अत्याचार होते हैं और उन तरह-तरह के अत्याचारों के बारे में कहना चाहूंगी कि कोई न कोई बहाना ढूंढा जाता है । उदाहरण के लिए हमारी संस्कृति में तरह-तरह के उद्धाहरण दिए गए हैं। आज सुबह ही हमारे भाई सरदार जी ने एक वाक्य कहा था —

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता

लेकिन मैं इसी के साथ दूसरा वाक्य जोड़ना चाहती हूं जो हमारी ही संस्कृति के एक ग्रंथ का है —

ढोर, गंवार, शूद्र, पशु, नारी ।
ये सब ताड़न के अधिकारी ।।

महोदय, मुझे तो लगता है कि वह प्रथम पंक्ति हमारे लिए केवल लिखने के लिए रह गई, लेकिन जो दूसरी पंक्ति है वह हमारे साथ व्यवहार करने के लिये बनाई गई है, ऐसा सिद्ध हो रहा है । मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस बात के उदाहरण हमारे समाने है कि महाभारत में जूआ खेलने बैठ गया युधिष्ठिर और नग्न की जा रही है, द्रौपदी । इलाहबाद के एक गांव में लड़ाई हुई बेटे से और नंगा घुमाये गया उसकी मां को । सहारनपुर में लड़ाई हुई बेटे से और नग्न किया गया महिला को । मैं पूछना चाहती हूं कि इन चीजों को आप महिलाओं के लिए कानून बना कर उनको न्याय दिला पायेंगे? मैं आपके सामने अपनी अदालतों की बात अन्त में रखूंगी, लेकिन मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहती हूं कि महिलाओं के साथ होने वाले ऐसे केसेस में जिस गांव में महिला को नंगा घुमाया गया उस गांव का पौरुष मर गया था ? किस प्रकार से वह देखते रह गये ? पुत्र कोई लड़ाई लड़ रहा था, तो उसकी मां को नंगा करके घुमाये जाने का क्या मतलब है ? कानून की दृष्टि में उस दृश्य को देखने वाले अगर वहां नारी के साथ खड़े रहे तो वह भी उतने ही दोषी हैं, जितने कि उसको नग्न करने वाले हैं । मैं कहना चाहती हूं कि जिला कचहरी में महिला को निर्वसन किया जाए और कचहरी तमाशा देखती रहे तो क्या महिला खिलौना बन गई है ? महिला के अत्याचार की कोई सीमा नहीं रह गई है ? इस लिए मेरी मांग है कि नारी के साथ इस प्रकार की जो दशा हो रही है, उसके लिये भी कोई सख्त से सख्त सजा होनी चाहिये, सख्त से सख्त कानून बनना चाहिये ।

महोदय, अदालत के विषय में दो विषय मेरे पास हैं, जिनमें बताया गया है कि नारी की क्या दशा है । लेकिन मैं बताना चाहती हूं कि हमारे यहां महिला आयोग बने हैं, न्यायालय बने हैं, कितने केसेज हैं, जो महिला आयोग तक पहुंच पायेंगे कितने केसेज हैं, जो न्यायालय तक पहुंचे हैं? सरकार के आंकड़ों में मैं फंसना नहीं चाहती हूं । मैं कहूंगी कि बलात्कार के केसेज एक हजार हैं, लेकिन सरकार के आंकड़े ऐसे हैं कि 800 हुए हैं । मैं संख्या में नहीं जाना चाहती हूं । अगर संख्या की बात कहूं तो उत्तर प्रदेश में तीन चार महीनों के समय में 465 बलात्कार के केसेज हुए । यह हमारे लिये दुर्भाग्य की बात है । महोदय, हमें छोड़ दीजिये, हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमें जला दिया जाय, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमें नग्न करके घुमाया जाये, हमारे ऊपर बलात्कार किया जाय, यह नारी को असहनीय होगा; यह चीज उसे बर्दाश्त नहीं होगी । मैं कहना चाहती हूं कि हमारी यह संस्कृति कहां चली गयी, जब न शक्ल देखी न सूरत और एक कच्चा धागा भिजवाया करुणावती ने और उसकी रक्षा करने के लिये हुमायूं तलवार लेकर आ गया । यह थी नारी की स्थिति । कितना सत्कार था, कितना सम्मान था । आज भी बहन खड़ी होकर इन्तजार करती है, अगर भाई न आय, राखी लेकर बैठी रहती है । भाई राखी बंधवा कर उसकी सुरक्षा की गारन्टी करता है । लेकिन यह तमाशा बन गया है । किस प्रकार से नारियों पर अत्याचार हो रहे हैं । अगर लड़का नहीं हुआ, लड़की हुई है, तो उसे छोड़ दो, दूसरी शादी करा लो । यह भी एक प्रकार से अत्याचार है । मुझे सौभाग्य से ऐसी बस्ती में रहने का अवसर मिल रहा है जहां मुस्लिम बहनें हैं । मैंने उनके यहां के रीति-रिवाज नजदीक से देखे हैं । वहां 11 रूपये के छुआरे मंगाये और निकाह हो गया । लकिन वहां भी आज यह स्थिति बन गयी है कि दहेज के लिये लड़कियों को जलाया जा रहा है । सारे समाज की मानसिकता को यह एक घुन लग गया है और यह स्थिति बनती चली जा रही है । मैं पूछना चाहती हूं समाज के उन सब भाइयों से, यहां पर उपस्थित सभी भाइयों से कि क्या आज नारी सुरक्षित है? उन्नाव जिले में एक महिला शाम के टाइम शौच जा रही थी—महोदया जो प्राकृतिक क्रियायें हैं, उनका कोई निश्चित समय नहीं होता । यह कोई

(श्रीमती मालती शर्मा)

दफ्तर तो है नहीं कि 10 से 5 बजे तक लगेगा और उसके बाद उठ जायेगा। प्राकृतिक क्रियाओं के लिये किसी भी समय जाना पड़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली बहनें, 47 साल की आजादी के बाद भी, अनेक फाइव इयर प्लान बनने के बाद भी इसके लिये उन्हें कोई सुविधा नहीं है। ग्रामीण विकास का बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं भारत सरकार के मंत्रियों से कि क्या आज तक विकास के किसी कार्य में ग्रामीण क्षेत्रों में शौच आदि जाने के लिये स्त्रियों को कोई सुरक्षित स्थान दिया गया है? मैंने अपने जिले के कलेक्टर से कहा कि मेरे पास एक सस्ती योजना है, आप उसको क्रियान्वित करवा दो। ग्राम सभा के पास जमीन पड़ी रहती है। आप कोई जगह लेकर उसके चारों तरफ चार-दीवारी करवा दो और उस चार-दीवारी के अन्दर नल लगवा दो ताकि महिलाओं को प्राकृतिक क्रियाओं के लिये एक सुरक्षित स्थान मिल जाये। लेकिन कोई भी ऐसी योजना पिछली इतनी फाइव इयर प्लान जो बने हैं, उनमें महिलाओं के लिये बनी है क्या? मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 13 साल के बाद लड़की की क्या दशा होती है, किस तरह से वह अपनी जीवन व्यतीत करती होगी? मैं यहां के सम्मानित सदस्यों, भाइयों और बहनों से निवेदन करना चाहती हूं और पूछना चाहती हूं कि जिन-जिन क्षेत्रों से आप आते हैं आप वहां के ग्रामीण इलाकों का सर्वेक्षण करिये तो आपको वास्तविकता का पता चलेगा। यहां पर जब डिसक्शन होता है और मैं उसको सुनती हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन जिस क्षेत्र से आप आये हैं जरा उस क्षेत्र में पीछे की तरफ निगाह डालें और देखें कि इन 47 सालों में, आजादी के बाद भी ग्रामीण महिलाओं की क्या स्थिति है। ये महिलायें अगर घास काटने जाती हैं तो जो पुरुष हैं वे उनकी नजर का शिकार बनती हैं। पीपली गांव जो लखनऊ जिले में है, यह बहुत दूर-सुदूर गांव है। बड़ी धूल छानने के बाद मैं वहां गयी। वहां पर एक महिला के साथ तीन लोगों ने बलात्कार किया। क्या होता है कि बलात्कारी उसके बाद घर छोड़कर भाग जाते हैं। जब उस स्त्री का पुरुष रिपोर्ट लिखाने के लिये जाता है तो वहां का दरोगा रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है। तो इस तरह की चीजें हैं।

महोदय, मैं आपके न्यायालय द्वारा दी हुई रूलिंग और उनके निर्णयों के बारे में कहना चाहूंगी। मैं यहां पर उन निर्णयों का उद्धरण नहीं दे सकती। एक नौ वर्ष की बालिका के ऊपर जब 21 साल का युवक बलात्कार करता है दिल्ली के अंदर, तो न्यायालय कहता है कि हमें इसका कोई सबूत नहीं मिला, 21 साल का व्यक्ति बलात्कार नहीं कर सकता। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगी अगर अदालतें ऐसा निर्णय देंगी तो इन अदालतों का क्या होगा; कचहरियों में लोग क्यों जायेंगे, वहां जाकर हमारी बहनों को ह्यूमिलियेशन के सिवाय क्या मिलेगा? मैं इस संबंध में एक उदाहरण देना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप इसकी तह में जायें। मध्य प्रदेश में मनोरमा कामले के कांड को, मैं समझती हूं अधिकांश लोगों ने पढ़ा होगा। मनोरमा कामले एक झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाली महिला थी और उसका पति रिक्शा चलाने वाला है। उस झुग्गी में रहने वाली महिला का रिक्शा चलाने के काम से गुजारा नहीं हुआ तो उसने किसी के घर में चूल्हा, चौका और सफाई का काम शुरू कर दिया। जिसके घर काम किया वह लॉयर है। जरी पटवा पुलिस स्टेशन में यह गांव पड़ता है। मनोरमा कामले जिसके यहां काम करती थी वह शाम देवानी, वकील परिवार, भाई वकील, बाप वकील, न्यायालयों में उनका संबंध, न्यायालयों के न्यायाधीशों को लाकर अपने यहां अंगूर का रस पिलाना, उनके साथ रंग-रेलियां मनाना यह सब काम वहां होते थे। उस घर में यह जो घरेलू नौकरानी थी उसके साथ बलात्कार किया सब लोगों ने। जब वह जान से मर गई, उसके प्राण निकल गये तो उसके बाद उसको कपड़े पहना कर उसको एक गैलरी में ले जाकर कूलर का करण्ट लगा दिया। उसके बाद तुरन्त जरी पटवा थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। यह कहा गया कि कूलर के करण्ट से इसकी मृत्यु हुई है। उसको तुरन्त अस्पताल ले जाया गया। वहां डाक्टर ललवानी जो शाम देवानी परिवार का खानदानी डाक्टर था, चहेता था

उनसे उसकी डाक्टरी जांच करवाना चाहते थे । दूसरे सब डाक्टरों को सन्देह हुआ कि जो डाक्टर ग्रॉन ड्यूटी है उससे डाक्टरी जांच क्यों नहीं कराई जा रही है, इसी डाक्टर से क्यों करवाई जा रही है । इसी बात पर उनको सन्देह हुआ । उन्होंने वहां के लोगों को और उस महिला के खानदान वालों को फोन किया । तमाम पब्लिक ग्रा गई । ग्राने के बाद जो ग्रॉन ड्यूटी था डाक्टर उसने उसकी जांच पड़ताल की । उसका पोस्ट मार्टम हुआ । पोस्ट मार्टम से यह मालूम हुआ कि करण्ट लगने से महिला की मृत्यु नहीं हुई । इस महिला की मृत्यु बलात्कार से हुई । यह सिद्ध हो गया कि बलात्कारियों ने जल्दी में उसको उलटा पेटीकोट पहना दिया था और जो घर से धोती पहन कर ग्राई थी वह उसके तन पर नहीं थी । उसको दूसरी पहना दी गई थी । किस न्यायालय में जाए, कौन से न्यायालय में जाकर न्याय मिलेगा ? ग्रनेको हमारी पर्दानशीं बहनें, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं किस ग्रदालत में जा सकती हैं ? इन कांडों का कोई ठिकाना नहीं रह गया । लखनऊ में चिनहट के पास दोहरा गांव में एक 13 वर्ष की बच्ची ने मां से रोटी मांगी, उसने कहा मुझे भूख लग रही है, मुझे रोटी दे दो । मां ने कहा खेत से जाकर टमाटर तोड़ ला । सब्जी भी बना दूंगी और रोटी भी दे दूंगी । टमाटर तोड़ने गई । टमाटर तोड़ कर ला रही थी, तो बीच में ही कुछ लोग उसको खींच कर ले गये और उसके साथ बलात्कार किया । बलात्कार, करके उसका गला घोंट कर मार दिया गया । मैंने स्वयं जाकर ये दोनों केस देखे हैं । मैं दोहरा गांव में गई । उसकी मां का बिलखना नहीं देखा जाता था । मां कहती थीं कि ग्राज मेरी बच्ची भूखी चली गई । न वह भूखी होती और न इस तरह से मैं खेत भेजती और न मेरी बच्ची का प्राणांत होता । यह स्थिति बनी हुई है ।

मैं ज्यादा लम्बा न बोलते हुए कुछ मांग रखना चाहती हूं । भारत सरकार के एक-ग्राध मंत्री ग्रगर यहां बैठे हों तो मेरी ग्रावाज ग्रपनी पूरी कैबिनेट तक पहुंचा दें । मैं तो केवल यह कहना चाहती हूं कि ग्राप इन चीजों की जड़ में जाइये, जहां से यह बुराई जन्म ले रही है । यह बुराई कहां से जन्म ले रही है ? बहन सुषमा ने कल टेलीविजन का खाका खींचा था । मनोरंजन किया जा रहा है । उस मनोरंजन के लिए महिलायें शहीद हो रही हैं । हर तरह से महिलाओं के ऊपर ग्रत्याचार हो रहे हैं । मैं मांग करूंगी, भारत सरकार के मंत्रियों से कि मेहरबानी करके ग्राप ग्रध्यादेश जारी करते हैं, ग्राप संविधान में संशोधन करते हैं । मेरी प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी इस टेलीविजन के लिये ऐसा संशोधन कर दीजिए - जिससे इस सारी खुराफात पर रोक लगे । ये जितने कांड हो रहे हैं, ये सब जो हमारी संस्कृति में समायी हुई चीजें हैं, हमारी ग्रात्मा में समायी हुई चीजें हैं, उन सब से दूर ले जाकर पाश्चात्य सभ्यता में जो ढकेला जा रहा है—उन पर रोक लग जाये । दूसरी मेरी मांग यह है कि मैं केवल वीरेन शाह जी ने जितनी मांगे रखी हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहती, उनसे ग्रपने को सम्बद्ध करते हुए मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगी कि यह जो ठर्रा पिला-पिला कर होटलों में, पांच सितारा होटलों में ग्रंगूर का जूस पिलाया जाता है, कैबरे डांस होते हैं, सरकार उसके बारे में क्या सोचती है ? जहां से हमारी संस्कृति जन्म लेती है, उसके बारे में ग्रापकी सरकार क्या सोचती है ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि शहरों तक ये ठेके मौजूद थे । उसके बाद सड़कों पर ग्रा गये और सड़कों पर कहां ग्राये, जहां बस स्टाप थे । जीग्रो और पिग्रो ठंडी बीयर, रंगीन बीयर ऐसे बोर्ड लगे हैं, शर्म नहीं ग्राती । पहले कभी कोई पीता था तो समाज उसका मुंह काला कर करके किसी कोने में डाल देता था । लेकिन मैं ग्रापको बताना चाहती हूं कि ये चीजें इस बात को जन्म दे रही हैं । ग्रब तो ये ठेके पहले तो ग्राम पंचायत स्तर तक ले गये और फिर पचायत स्तर से ग्राम स्तर तक लेकर जा रहे हैं । मैं उदाहरण देना चाहती हूं कि मेरे ही जिले में एक गांव है वहां की औरतें ट्रोलिय में भर कर मेरे पास ग्रायीं । उन्होंने कह

[श्रीमती मालती शर्मा]

यह हालत पीने वालों ने कर दी। न वह बहनों को देखते हैं, न बेटियों को देखते हैं, बस यह हालत कर दी है कि बहन बेटियों का घर से बाहर शौच आदि के लिये जाना भी दूभर हो गया है। उन्होंने कहा आप इस ठेके को हटाइये। मैंने काफी लड़ाई लड़ी। ठेका हटवाया। लेकिन जो पीने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से यह चीज आई कि यह तो कच्ची बिकती है। अधिकारी मजबूर हो कर कहने लगे कि यह कच्ची बिकती है, तो कहीं ऐसा न हो कि उसको पीकर कोई मर जाये। हम तो कलंकित होंगे, हमारे ऊपर एक्शन होगा। इसलिये यह कहा कि इस कच्ची से तो सच्ची का ठेका चलने दीजिये। और वह ठेका बरकरार है। हमें इनकी जड़, इनकी तह टटोलनी होगी। इसमें कानून के साथ-साथ समाज की संस्कृति बदलनी होगी।

सख्ती के साथ जो महिला आयोग बना, उसके सामने कितने फीसदी केस आये। आज आंकड़े उठा कर देख लीजिये, मैं उन आंकड़े के भ्रमजाल में फंसाना नहीं चाहती। जहां देखिए नारी का नग्न प्रदर्शन है, चाहे वह चलचित्र है, चाहे आपका टेलीविजन हो, जी०टी०वी० हो, इन चीजों को बढ़ावा दे ही रहे हैं। टेलीविजन में भी आने प्राइवेट कम्पनियों को बढ़ावा दिया है। इसके साथ मैं आप से कहना चाहती हूं, कि आप जरा देखिए जो भी एडवर्टीजमेंट होता है, चाहे तौलिये का एडवर्टीजमेंट होता है, या आपके साबुन का एडवर्टीजमेंट, किसी भी चीज का एडवर्टीजमेन्ट होता है, पुरुषों से संबंधित चीजों पर भी क्या होता है, कि उनके एडवर्टीजमेंट के लिए भी महिलायें ही चाहिए मेरी यह प्रार्थना है कि भारत सरकार के मंत्री तक मेरी यह आवाज पहुंचा दीजिए। इन तीन बातों पर यदि रोक लग जाएगी तो इस देश की संस्कृति बदलेगी। यत्र नारी पूज्यते, तत्र नमन्ते देवता। उसको देवी मानकर देश के नागरिक पूजते आए हैं। इस देश की नारी भी अपनी परम्परा से पीछे नहीं हटी। यह भी कहती है तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही मेरे देवता। हमने पुरुष को देवता माना है, भाई माना है, बाप माना हैं, पुत्र माना है, पति माना है तो एक ही को माना है। और उसको पति मानकर उसके चरणों की पूजा की है। नारी आज भी उसी संस्कृति से बंधी हुई है लेकिन मैहरबानी करके आप भाई हैं तो भाई का रिश्ता हम से रखिए। दूसरा रिश्ता हम से मत जोड़िए। इस तरह से अत्याचार तभी बंद हो सकेंगे जब इन चीजों पर अमल करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे समय दिया।

श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल (गुजरात) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय सबसे पहले मैं भाई वीरेन शाह की को यह प्रस्ताव लाने के लिए बधाई देती हूं कि उन्होंने महिलाओं के क्षेत्र में जो अन्याय, अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ आवाज उठाई, जागृति लाए। स्त्रियों के प्रति जो अत्याचार होते हैं वे शारीरिक भी होते हैं, मानसिक भी होते हैं। इस समाज में क्या हो रहा है आप सब को पूरी जानकारी है। रोज समाचार पत्रों में ऐसे समाचार आते रहते हैं कि कहीं महिला को आत्महत्या करनी पड़ी, कहीं महिला को जिंदा जला दिया गया और कहीं महिला के साथ बलात्कार किया गया, कहीं उसे अपने घर से निकाल दिया गया, कहीं उसके ऊपर मार-पीट की गई, असंख्य तरीके के अत्याचार महिलाओं पर होते ही रहते हैं। मैं यह बताना चाहती हूं कि इसके मूल में हमारी सोसायटी में डबल स्टेण्डर्ड है स्त्री और पुरुष के प्रति, ये ही जिम्मेदार हैं। मनु स्मृति के समय से यह डबल स्टेण्डर्ड बल्कि इससे पहले से चला आया है। लेकिन इस मनुस्मृति में दिया हुआ है—मातृ देवोभव। यानी स्त्रियों को एक जगह पर बैठा कर उसकी पूजा करते थे पुरुष लोग। और दूसरी तरफ सामाजिक व्यवहार में न "स्त्री स्वतंत्र्य मर्हति", स्त्री को स्वतंत्रता का कोई अधिकार ही नहीं है। उनका अपना अलग व्यक्तित्व भी नहीं है।

यह अलग से जी नहीं सकती है । हमेशा पुरुष की आश्रित रहने के लिए ही उसका सृजन हुआ है । यह बात है । यही मनुस्मृति में बताया गया है । हमारे समाज में हर एक रीति रिवाज में हम डबल स्टैण्डर्ड रखते हैं । पुरुष के लिए जो बात सामान्य है, स्त्री के लिए वही बात दूसरी बात की तरह सोची जाती है । अभी तो कायदा है कि एक पुरुष की एक ही स्त्री होनी चाहिए । लेकिन एक शादी करते हैं और 2–3 रखेल रखते हैं । उसको कोई नहीं बोलता है । अगर एक स्त्री के ऊपर बलात्कार से कुछ कर दिया गया तो उसके चरित्र पर शंका होती है । पति उसको दूसरे दिन निकाल देता है । क्या स्त्री कभी पति से पूछ सकती है कि आप दूसरी स्त्री के साथ संबंध रखते हैं तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा । कहां है ऐसा एक भी इक्जाम्पल हमारे देश में हमारे समाज में जिसमें हमने देखा हो कि पुरुष को घर से निकाल दिया जाए । स्त्री पूरी जिन्दगी अपने कुटुम्ब और अपने पति के लिए, पति के परिवार के लिए, बच्चों के लिए गुजार देती है ; स्त्री को इसके बदले में क्या मिलता है । उसको मार-पीट मिलती है । उसको अपमानित किया जाता है । उसको घर से निकाल दिया जाता है । उसके ऊपर कहीं कहीं कलंक लगाए जाते हैं । यह हमारी सोसाइटी का डबल स्टैण्डर्ड है । । हमारे समाज में स्त्री को सेकेंडरी सिटीजन का ही दर्जा है । अगर उसको सिटीजन ही न माना जाए, ऐसा कहें तो भी गलत नहीं होगा । हर एक बाबत में स्त्री को टेकन फार ग्रांटेड लेते हैं । उसकी सम्मति मान ही ली जाती है । स्त्री को शादी करनी है तो मान ही लिया जाता है कि उसकी सम्मति है । उनके माता पिता पूछते नहीं हैं । अपने घर में पति भी मानकर चलता है कि मैंने जो [illegible] किया है पत्नी उसके निर्णय के साथ ही जुड़ी हुई होगी । हर एक स्तर पर फैमिली में या फैमिली के बाहर महिला की स्वीकृति मानी जाती है और पुरुष को ही में स्त्री की हां है ऐसा मान लिया जाता है स्त्री के ऊपर मालिकी अधिकार यह तो सहज सामान्य बात मानी जाती है । स्त्री को अपना मालिकी हक नहीं है । पुरुष उसका कभी भी उपयोग कर सकता है कभी भी उसके ऊपर अपना अधिकार जमा सकता है । अगर स्त्री ने उससे अलग कहीं भी आवाज उठाने का प्रयत्न किया तो स्त्री को अपमानित तो किया जाता है, लेकिन यह बदचलन है, खराब संस्कार की है, माता पिता ने ठीक से संस्कार नहीं दिए ऐसे भी उसे अपमानित किया जाता है । पुरुष के रिश्ते वाले उनको बदनाम करते हैं । यह उपभोग का साधन ही मानी जाती है । कई ऐसे इग्जाम्पल हमारे समाज में हैं । स्त्री का उपभोग करना पुरुष का अधिकार माना जाता है । आखिर बलात्कार के पीछे पुरुष की साइकलाजी क्या है । अगर पुरुष को स्त्री का उपभोग करना है और मनोरंजन की उसकी इच्छा है तो किसी भी स्त्री को उठाकर ले जाते हैं, और यूज करके फेंक देते हैं । यही हमारे समाज की स्थिति है । आजकल के नौजवान भी देखें तो कालेज को अपने साथ की पढ़ाई करने वाली लडकी को उठाकर ले जाते हैं । अगर वह लडकी बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती तो उसके ऊपर दबाव डालना शुरू कर देते हैं कि मैं पसंद करता हूं तू क्यों ना बोलती है । क्या स्त्री को न बोलने का अधिकार ही नहीं है । ऐसे तो कई प्रसंग हम देखते हैं कि जिसमें यंग एज में ही या फैमिली में ही । आफिस में ही हो तो उसको अपने बास को राजी करना है, फैमिली मैम्बर को राजी करना है, समाज के अन्य लोगों को राजी करना है स्त्री एक खिलौना है जिसका काम पुरुष की कोई भी मोजीशन हो उसको राजी करने का है । यही काम है ऐसा समाज में माना जाता है । यही कारण है कि तरह तरह के अत्याचार हमारी स्त्रियों पर होते हैं । जब पुरुष से यह बात करते हैं तो पुरुष ज्यादातर ऐसी कम्पलेंट करते हैं या तो उनका बयान इस तरह से करते हैं कि

[श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल]

पुरुष स्त्री पर जितना अत्याचार करते हैं, उस पर जो अन्याय करते हैं । ...। इससे अधिक स्त्री-स्त्री पर ज्यादा अन्याय करती है । घर में उसकी सास हो या उसकी ननद हो या देवरानी या जेठानी हो तो ये ही झगड़ा करती हैं, लेकिन इसके पीछे भी जो लॉजिक हमारे समाज में है, वह यह है कि हमारी ज्यादातर स्त्रियां अनपढ़ हैं । उनमें जो जागृति होनी चाहिये, अपने अधिकारों या अपने स्टेट्स के प्रति वह जागृति नहीं है और जो रीति-रिवाज चले जाते हैं, उनको वे मानती हैं कि घर में जो बहू आई, उसके ऊपर वर्चस्व जमाना, यही उनका कर्त्तव्य है । यह जो हमारे समाज में रीति-रिवाजों की शिक्षा देते हैं, उस सब को बदलना खूब जरूरी है । इसकी सब से पहली जरूरत जो है, वह स्त्री शिक्षा की मानी जाती है । एक टाइम बाउण्ड प्रोग्राम हमें रखना चाहिये । वैसे हम बालिका शिक्षा की बहुत बात करते हैं और "हरेक के लिये शिक्षा" "एजुकेशन फॉर आल" के प्रोग्राम की बात करते हैं, लेकिन कोई भी प्रोग्राम हम टाइम बाउण्ड नहीं रखते हैं, इसलिये उसका नतीजा कुछ आता नहीं है । मेरा यह सुझाव है कि हरेक लड़की को पढ़ाना अनिवार्य होना चाहिये और यह करने के लिये दो या तीन साल का टाइम बाउण्ड प्रोग्राम होना चाहिये कि इस समय में भारत देश की एक-एक जो पढ़ने योग्य बालिका हो, उसको शिक्षा उपलब्ध हो, ऐसी सुविधा हमें मिलनी चाहिये दूसरी जो जरूरत है, जब-जब ऐसी प्राब्लम्ज होती हैं और स्त्री को जब अत्याचार का बोझ झेलना होता है, तो उसको तकलीफ और प्राबलम जो होती हैं, वह आर्थिक परावलंबन की होती है । स्त्री हमारे समाज में पुरुष पर आश्रित है । कोई भी पोजिशन में हो, चाहे वह बालिका के स्वरूप में हो, पत्नी के स्वरूप में हो और माता के स्वरूप में हो, हमारे यहां पुरुष पर आश्रित रह कर ही उसका अपना भरण-पोषण करना पड़ता है । जब तक स्त्री को आर्थिक स्वातन्त्र्य नहीं मिलेगी तब तक यह कण्डीशन में कोई फेर-बदल होने वाला नहीं है । आप लोग, हमारे यहां हम महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन के कई प्रोग्राम करते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम गांवों में, देहातों में जो मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास की 50 वर्ष की पिछड़ी हुई महिलायें हैं, वहां तक ये प्रोग्राम कभी पहुंचते नहीं है और ये प्रोग्राम्ज के द्वारा जो बहन को पूरे दिन काम करके मिलता है, वह जो उनको राशि मिलती है उसे हम देखें, तो दिन में 10 रुपया या 15 रुपया जितनी मिलती है, इस जमाने में में स्वावलंबी बनने के लिये वह रकम काफी नहीं होती है । 6, 7, 8 घंटे तक महिला काम करे और उसको पूरा वेतन नहीं मिले, तो ऐसे स्वावलम्बन की योजनाओं का कोई अर्थ नहीं रहता है । जहां वह महिला मजदूरी करने जाती है, या कहीं काम करने जाती है तो हम देखते हैं कि पुरुष को जो तनख्वाह मिलती है, महिला को उससे बहुत कम तनख्वाह दी जाती है । तो यह भी डबल स्टैण्डर्ड हमारे समाज में है कि काम स्त्री के पास से पूरा लेना और उसको जो बदला देना, तो वह उसको कम देना । शिक्षण जगत में मैं जानती हूं कि कई महिलायें, शिक्षिकायें और प्राथमिकशाला की या बाल मन्दिरों की शिक्षिकायें हैं, उसमें ज्यादातर महिलायें पसन्द की जाती हैं । क्यों पसन्द की जाती हैं कि बी.ए. बी.एड. होकर भी उनको 400, 500 के वेतन पर लेते हैं और साइन पूरे वेतन पर करवा लेते हैं । तो यह अन्याय हमारे समाज में महिलाओं के प्रति आर्थिक क्षेत्र में भी हो रहे हैं । यह सुरक्षा करना भी जरूरी है ।

इसके बारे में स्त्री को स्वावलम्बी बनाने के लिये मेरे दो सुझाव है । एक तो महिलायें हमारे समाज में अपने घर, अपने बच्चों को भी संभालती हैं और इसके साथ-साथ आर्थिक स्वालम्बन प्राप्त करना है, तो इसके लिये हमें पार्ट टाइम जाब्स की सुविधा हमारी समाज में करनी चाहिये, जिससे कि 4–5 घंटे काम करके स्त्री अपना आर्थिक वहन कर सकती है । इससे साथ-साथ मैं यह सुझाव भी दूंगी कि सरकारी

और गैर सरकारी किसी भी क्षेत्र में स्त्रियों के लिये 25 टका आरक्षण रखना चाहिये, जिससे स्त्री अपना रोजगार प्राप्त कर सके और यह बहुत जरूरी है।

श्रीमती वीणा वर्मा : (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहती हूं कि इस बहुत ही गंभीर विषय पर माननीय शाह जो प्रस्ताव लाए हैं। इस प्रस्ताव पर कई सप्ताह तक हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार करें और इसी सप्ताह में ही नहीं, अगले सत्र में भी यह प्रस्ताव चलता रहे, यह मैं आपसे गुजारिश करूंगी।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Madam, I support Smt. Veena Verma's plea.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) क्या दूसरे सदस्यों की भी यही राय है?

श्रीमती वीणा वर्मा : महोदया, इस बहुत गंभीर विषय पर हम सभी को विस्तार से बोलने के लिए बहुत तैयारी की आवश्कता है जिससे कि इस विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार किया जा सके।

एक माननीय सदस्य : हम सब इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।

श्री सोमप्पा आर० बोम्मई : (उड़ीसा) अभी तो यहां महिलाओं का राज है।

श्री इकबाल सिंह : (पंजाब) मैडम, समाज में जागृति लाने के लिए इस विषय पर गंभीरतापूर्वक चर्चा होनी चाहिए ताकि हम देश को बता सकें। मैडम, एक तो अभी एजुकेशन के बारे में माननीय सदस्या बता रही थीं, मैं चाहूंगा कि पापुलेशन के सब्जैक्ट को भी इसमें साथ-साथ लाना चाहिए और इस विषय पर बहुत चर्चा होनी चाहिए। मैं इस प्रस्ताव का सपोर्ट करता हूं।

SHBI VIREN J. SHAH; As the mover of the Resolution, I highly appreciate what Smt. Veena Verma has said. I feel very strongly' and 1

/

have seen that every hon. Member feels very stiongly, that the House should resolve that it may be carried on to the next Session and request the hon. Chairman to do so. I think this should be done so that the matter could be dealt with in full.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): A motion is to be moved in the House itself and if the House approves, then it can be done.

SHRIMATI VEENA VERMA: This Resolution can be taken up in the next Session also.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA); You move the motion ive minutes before 5 o'clock.

This Resolution can be taken up in the next Session also.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) पांच बजने में पांच मिनट रहें तो आप अपना मोशन मूव कीजिए।

The mover of the Resolution can move the motion and she can second it.

श्रीमती उर्मिलाबेन चिमनभाई पटेल महोदया, एक और भी महत्व की बात है कि डैमोक्रेसी में जब राजकीय अधिकार दिए जाते हैं तो व्यक्ति का इम्पोर्टेन्स बढ़ाता है। अभी महिलाओं को पुरुष के समान वैधानिक रूप से राजकीय अधिकार तो है, लेकिन जो ढांचा हमारे समाज में है, उसके अनुसार अगर कहीं हम टिकिट मांगती हैं, तो जीत नहीं सकेंगी, इलेक्शन में अच्छा पर्फोर्मेंस नहीं सकगी ऐसा समझकर टिकिट नहीं दिया जाता है और उन्हे उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। तो जैसे स्थानीय स्वराज की संस्थाओं और पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 परसेंट का आरक्षण दिया गया है, वैसा ही आरक्षण अगर राज्य सभा, लोकसभा, प्रधान-मण्डल और जो सभी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी में 33 परसेंट का आरक्षण दियां जाय तो स्त्री का दर्जा बढ़ाने में यह सुरक्षा बहुत काम आएगी।

[श्रीमती उर्मिलाबेन चिमनभाई पटेल]

महोदया, मैं यह भी जरूर बताना चाहती हूं कि यह पुरुष प्रधान समाज है और अगर पुरुष प्रधान समाज में सबसे ऊंचे दर्जे पर कोई स्त्री बैठती है तो समाज को शंका-कुशंका होती है कि वह कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगी ? वह निभा सकेगी या नहीं निभा सकेगी और कितनी ही ऐसी शक्तिशाली महिलाएं समाज में हैं जोकि शक्तिशाली होते हुए भी उन्हें योग्य दर्जा नहीं दिया जाता है । क्या मैं ऐसा पूछ सकती हूं कि सभी पुरुष अच्छे व्यवहारकर्ता हैं ? क्या मैं मैं ऐसा पूछ सकती हूं कि सभी पुरुष एक शरीखे शक्तिशाली हैं । क्या मैं पूछ सकती हूं कि पुरुषों से कभी गलती नहीं होती है ? क्या मैं पूछ सकती हूं कि पुरुषों में कोई कमी नहीं होती है । अगर पुरुषों में कमी होती है और निभाया जाता है और पुरुष को सभी अधिकार में प्रायरिटी दी जाती है तो स्त्री भी एक मनुष्य है, उसमें भी कमियां हो सकती हैं । तो स्त्री और पुरुष के बीच में यह अलग व्यवहार क्यों रखा जाता है ? महोदया, हमारे समाज का जो सबसे सर्वोच्च माना-जानेवाला शिक्षित वर्ग है... जो एलाइट वर्ग है, जो सोशल या पोलिटिकल क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले वर्ग हैं, उनके मन में भी डिसक्रिमिनेशन होगा तो यह समाज में कैसे समाजिक परिवर्तन आएगा ।

महोदया, इसके अलावा मैं एक और प्रश्न की तरफ भी आपका ध्यान बटाना चाहती हूं कि स्त्रियों के जो अत्याचार के किस्से यहां बताए गए हैं, मेरी अपनी स्पीच में भी, इसमें ज्यादातर जो हैं, अपने गांव के जो बड़े लोग होते हैं वह भी उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट करते हैं, पुलिस तंत्र भी प्रमेटेक्ट करती है । कानून कानून की पोथी में रहता है और स्त्रियों को जो न्याय मिलना चाहिए वह न्याय नहीं मिलता है । न्याय सिर्फ दिखावे की बात हो गई है । तो मेरा सुझाव यह है कि स्त्रियों के अत्याचारों को रोकने के लिए हरेक ब्लाक में या तहसील में महिला पुलिस स्टेशन बनाया जाए और महिला सुरक्षा की व्यवस्था उनके द्वारा की जाए । यह बहुत जरूरी है । वैसे महिलाओं के लिए महिला अदालत भी होनी जरूरी है क्योंकि कहीं कहीं हम देखते हैं कि न्याय तंत्र में भी बैठने वाले हैं उनको स्त्रियों के प्रति, मैं यह तो नहीं कहना चाहती कि पूर्वाग्रह होता है, फिर भी उनके जो संस्कार हैं उसमें तो वह पूरे पूरे ओब्जेक्टिव नहीं हो सकते हैं । तो महिला सुरक्षा की भी जरूरत रहती है ।

इसी तरह सामाजिक कार्यकर्ताओं से महिलाओं की बनी हुई महिला सुरक्षा समिति भी हरेक ब्लाक में काम करती होनी चाहिए । उसमें काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता महिलाओं को शामिल किया जाना बहुत जरूरी है । यह ऐसा क्षेत्र है, जिसमें कोई राजतंत्र या कोई पार्टी पोलिटिक्स लाने की जरूरत नहीं है । यह ऐसा क्षेत्र है, पूरा समाज जिसके लिए चिंतित है । तो हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर स्त्रियों को ऊपर उठाने का काम करना चाहिए, जो जरूरी है ।

कई गरीब महिलाएं हैं, जो कानूनी सहायता चाहती हैं, लेकिन हमारा कानूनी तंत्र ऐसा है, जिसमें न्याय बहुत महंगा है और न्याय मिलने में समय बहुत लगता है । तो गरीब महिलाओं को बिना मूल्य न्याय मिलना चाहिए । वैसे अभी योजना तो है बिना मूल्य कानूनी सहायता की, लेकिन इस योजना की जानकारी घर घर तक पहुंचाना है ताकि ऐसी महिलाओं को उसका लाभ मिल सके । ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, उसकी जानकारी भी नहीं है । न्याय भी समय पर मिलना चाहिए, जो नहीं मिलता है । कहीं कहीं मेण्टीनेन्स के केसेस दो-दो, तीन-तीन चार-चार साल तक चलते है और उनका कोई निकाल नहीं होता है । जो मेण्टीनेन्स करके दिया जाता है एमाउण्ट, वह भी इतना छोटा होता है कि उसमें अपना और अपने बच्चों का निर्वाह करना बिल्कुल संभव नहीं है इस जमाने में तो इसके बारे में भी सोचा जाए । कहीं डेढ़ सौ रूपए का मेण्टीनेन्स देना क्या अर्थ रखता है ? उससे क्या करेगी महिला ? जो उसे अपने घर पर का रेण्ट देना है, क्या वह देगी ? क्या वह खायेगी ? क्या अपने बच्चों को वह खिलाएगी ? यह इतनी छोटी रकम है, इसको भी बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है । जो

मिनिमम स्टैण्डर्ड निश्चित किए गए हैं और जब महिला वहां जाती है तो उसको मिनिमम प्रोटेक्शन मिलता है । इस जमाने में उसको क्या जरूरी है, यह बात भी ध्यान में नहीं ली जाती है । तो इसके बारे में कुछ सुधार होना जरूरी है ।

जब भी स्त्रियों के उपर अत्याचार होता है तो उसके ऊपर पर्दा डालने के उसके कई पुरुष आगे आकर बाहर निकल आते हैं, अपनी पहचान का उपयोग करके यह सब समेट लेना चाहते हैं, चाहे मिलजुलकर या जैसे भी यह सब एसा ही व्यावहार सब जगह चलता है । इसके बारे में कड़कता से काम लेना जरूरी है और जो पुलिस या अधिकारी केस को ढीलाढाला बनाकर निकालने की कार्यवाही करते हैं उनके साथ भी सख्ती से काम लेना जरूरी है ।

एक और बात मैं बताना चाहती हूं कि हमारे समाज में कई रीति रिवाज ऐसे हैं, जो कि बदलना बहुत जरूरी है । दहेज के बारे में मैं बहुत चर्चा नहीं करना चाहती क्योंकि हरेक व्यक्ति इसके बारे में जाग्रत है, लेकिन एक बात जरूर बता देना चाहती हूं कि हमारे गुजरात में एक गांव ऐसा है, जिसमें पूरे गांव में जवान लड़कियां को वैश्या बनाया जाता है। राजस्थान में एक कम्युनिटी पूरी एसी है, ... जिसमें हरेक युवा लड़की को, जब वह 15 साल की होती है, तो उसको वेश्यावृत्ति के काम में लगाया जाता है । अपने घर की बहु को वैश्या नहीं बनाते बहू अपने घर के बाहर से शादी करके लाते हैं, वह कुल की आबरू होती है इसलिए उनको यह काम नहीं सिखाया जाता लेकिन लड़की को यह काम करना पड़ता है । यह प्रथा आजादी के 45 साल बाद भी हमारे समाज में चल रही है, लेकिन इसके बारे में समाज में किसी को भी चिंता नहीं है । इतनी बड़ी लोक सभा, राज्य सभा या स्टेट में जो विधान सभाएं हैं, इन सबके होते हुए ऐसे रीति-रिवाज हमारे समाज में आज भी चल रहे हैं, यह बड़े शर्म की बात है। आधुनिक जो युग है इसमें वैश्यावृत्ति का नाम बदल दिया गया है और महिलाओं को कॉल-गर्ल बनकर काम करना पड़ता है । आज आप किसी भी फाइव स्टार या फोर स्टार होटल में जाएं तो वहां लड़कियां सप्लाई की जाती हैं और यह एक फैशन माना जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं मानी जाती । अगर पुरुष कोई काम करे तो उसमें कोई बुराई नहीं होती है, गलत काम करने के बाद भी वह पवित्र का पवित्र ही रहता है । लेकिन अगर स्त्री कोई ऐसा काम करे तो वह बदनाम हो जाती है और उसके साथ कोई शादी करने को तैयार नहीं होता है। हम कुछ महिलाएं जब उस गांव में गई तो हमारे साथ दो-चार पुरुष भी थे और वे लड़कियों को समझाने लगे कि ऐसे गलत धंधा आप क्यों कर रहे हो । तो एक लड़की, जो हिम्मत वाली थी, उसने पूछा कि हम तो यह नहीं करना चाहते हैं लेकिन हमारे साथ शादी कौन करेगा ? आप हमारे साथ शादी करने को तैयार है ? पुरुष चुप हो गया, लड़का कोई बात नहीं बोल सकता है । तो एसी जो गिरी हुई महिलाएं हैं, उनको हमारे समाज में कोई स्वीकार नहीं करता है। हमारा समाज ही उनको वेश्या या कॉल-गर्ल बनाने के लिए जिम्मेदार है। उनके लिए कोई योजना या कोई कार्यक्रम हमें रखना चाहिए और इस दिशा में भी हमें सोचना चाहिए।

अंतिम बात मैं यह कहना चाहती हूं कि आजकल हमारे टी. वी. में और सिनेमाओं में स्त्री का जो सैक्सी डेमोन्ट्रेशन हो रहा है, उसके साथ जो बर्ताव किया जाता है और जो बाहर के सीरियल्स आते हैं या जो बाहर के चैनल चल रहे हैं, उनमें तो खुले के खुले बेडरूम सीन्स बताए जाते हैं और स्त्री का रिप्रेजेंटशन वैसे ही किया जाता है । कहीं एडवरटाइजमेंट में भी स्त्री की शारिरिक रूप-रेखा को विकृत ढंग से दिखाया जाता है और उसके बारे में आवाज उठानी भी बहुत जरूरी है। राज्य सभा लोक सभा और स्टेट विधान सभाओं के जितने भी हमारे साथी भाई और बहनें हैं, अगर हम सब मिलकर एक डमोन्सट्रेशन उनके सामने करें तो किसी की हिम्मत नहीं कि स्त्रियों का ऐसा देह प्रदर्शन या विकृत प्रदर्शन हो सके। तो ऐसे भी हमें कुछ प्रोग्राम बनाने चाहिए । मैं आप सबसे विनती करती हूं कि इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए। केवल सदन चलाना, नीति बनाना, कानून बनाना ही हमारा काम नहीं है, समाज को बनाना भी हमारा काम है और इसके बारे में भी सोचा जाए ।

मैं जानती हूं कि मैंने जरूरत से ज्यादा समय लिया है। उपसभाध्यक्ष महोदय ने मुझे जो टाइम दिया, उसके लिए मैं उनकी आभारी हूं । धन्यवाद ।

(समाप्त)

SHRIMATl ILA PANDA (Orissa): Madam Vice-Chairman, I rise to support the Resolution moved by my colleague, Shri Viren J. Shah, expressing deep concern and anguish at the increasing incidents of rape, abduction and molestation of women in our country. In order to improve the status of women in our society we have to put an end to these types of tortures and exploitation of women. Mr. Shah has suggested a number of steps which should be considered to ensure the dignity of women in our society. He has laid maximum emphasis on the need to thoroughly revamp the police set-up and the legal machinery. Madam Vice-Chairman, the status of women in ancient India was very high. The ancient literatures are full of such examples when society used to respect women. But un-fortunately there had been a fall in the status of women during the medieval period and there has been a further fall in their status during the present time. Though there are a number of laws which enjoin the principle of equal status to men and women in the society, unfortunately, the reality is totolly different. Women are being subjected to various kinds of atrocities in the present day society. I want to point out with a deep sense of anguish that the atrocities on women start right from the time the girl child is there in her mother's womb. The sex-determination tests victimise the female children. Newspaper reports abound in news items relating to the rape of even minor girls, dowry deaths, bride-burning, prostitution, minor-girls marriage to old men, stripping and parading of naked women on the streets and so on and so forth. Madam, India boasts of a civilisation of thousands and thousands of years. But I fail to know when the atrocities on women will come to an end. Usually, atrocities like rape, molestation, kidnappings, etc., are committed by antisocial elements but now the recent tren of torture of women by the police is greatly disturbing. Such a trend only project the rottenness of a vulgar and un-civilised society. The police has the most important role to play in maintaining 'aw and order in the society and thereby making it crime-free. The judiciary has also an equally vital role to play. But, unfortunately, now the police has started behaving like criminal and anti-social elements. Sometimes the police is directly involved in the crimes against women. Sometimes the crimes are committed with the connivance of police. A report in the Times of India of today is just the tip of the iceberg of many such crimes against women committed throughout the length and breadth of the country. Rape, committed by the police, leading to custody death, is the most heinous of crimes committed on women.

Madam, as the country moves closer towards the panacea of economic liberalisation, no one has the time for more vital causes, especially, when they concern women. It is not. as if the judiciary has its hands tied because of insufficient legislation; on the contrary, this country has a tradition of over-legislation. Laws are passed for the asking but, at the same time, enough loopholes are left for the culprits to stip through. I am reminded of an incident, of rape of five Padaria women by fourteen policemen in February, 1988. The victims were offered Rs. 1,000/- to rebuild their huts which were broken by the police. This time the judgement came sooner, within a year. The policemen were acquitted. What is surprising is not that there are rapists and child-molesters in our society, but there are no effective legal deterrents to curb these tendencies. Court processes have become a mockery thanks to the inordinate delays. A court trial is a harrowing experience fo'r women who dare to face it. What' we lack is not a law to prevent crime against women, but the will to interpret it in favour of women,

The Resolution of my friend, Mr. Shah, is timely and it suggests a number of measures to curb the atrocities on women. J urge upon the Government to show the will in bringing the culprits to book and awarding heavy punishment, if at all we want a crime free society. Secondly there should be an all-women police station in each and every sub-division in the country. Thirdly, there should be at least 30 per cent of jobs reserved for women in the police force. Fourthly, heavy punishments should be given to policemen who commit such crimes. Fifthly, free legal aid should be provided to rape victims. Emphasis should be on entrusting women judges with trial of such cases.

1 once again thank you. Madam for your indulgence.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) श्रीमती चंद्रकला पांडे। वे तो उपस्थित नहीं हैं। मायावती जी, आप बोलिए।

कुमारी मायावती (उत्तर प्रदेश): मैडम, आज इस सदन में जो महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया है और हमारे जो भाई यह प्रस्ताव लाए हैं, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूं। महोदया, मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाना चाहती कि किस किस्म के जुल्म और ज्यादतियां महिलाओं के साथ होती हैं। मैं यह समझती हूं कि इसके बारे में काफी डिटेल में मुझ से पहले ही हमारी माननीय महिला सदस्यों ने इशारा कर दिया है और हमारे भाई ने जो प्रस्ताव रखा है, उसमें उन्होंने काफी डिटेल में बताया है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहती हूं, सदन को यह बताना चाहती हूं कि इस देश के अंदर जहां तक महिला उत्पीड़न का सवाल है तो उसमें जो 90 प्रतिशत महिलाओं का उत्पीड़न होता है, वे वीकर सैक्शन से संबंधित होती है। वे दलित और शोषित समाज की महिलाएं होती हैं जिनकी संख्या 90 प्रतिशत है। गरीब 10 प्रतिशत ऐसी महिलाओं का उत्पीड़न होता है जिनका जिक्र दहेज अथवा अन्य दूसरे मामलों में किया जाता है।

तो जहां तक शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सवाल है तो वह 90 प्रतिशत जो दलित और शोषित समाज की महिलाएं हैं, उनके साथ होता है लेकिन सदन को यह गंभीरता से सोचना होगा और खास तौर से सरकार को सोचना होगा कि जब 90 प्रतिशत दलित और शोषित समाज की महिलाओं का उत्पीड़न होता है, शारीरिक और मानसिक तौर पर तो हमें यह सोचना चाहिए कि इसका कारण क्या है और यदि हम इसके कारण को ढूंढ लें तो उसका हल भी निकाला जा सकता है। तो इस देश के अंदर जब हम 90 प्रतिशत महिलाओं की बात करते है तो इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादातर जो दलित और शोषित समाज के लोग हैं, वे देहातों में रहते हैं और देहातों में जो दलित और शोषित समाज की महिलाएं हैं, ये खेतों पर काम करती हैं और खेत उनके नहीं होते। उन खेतों के मालिक दूसरे लोग होते हैं और काम करने वाली जो महिलाएं होती हैं वह दलित और शोषित समाज की होती हैं। तो जब वे दूसरों के खेत में काम करने के लिए जाती हैं तो उनका शारीरिक तौर से शोषण किया जाता है। उनके साथ जुल्म और ज्याद-तियां की जाती हैं। तो हमें इसके बारे में सोचना होगा, सरकार को इसके बारे में सोचना होगा कि इसका हल क्या है?

महोदया, मैं समझती हूं कि सरकार के पास इसका हल है लेकिन नीयत साफ नहीं है। इसके लिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने और हमारे जो महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने भी इसका हल बताया है। मैं समझती हूं कि यदि सरकारी रिपोर्टों को उठाकर देखें, तो हम लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जितनी जमीन पर खेती होती, उससे दुगुनी जमीन पर जो सरकारी रिकार्ड के मुताबिक बंजर और किसी न किसी

...प ... खाली पड़ी हुई है। यदि वही जमीन पुलिस और शोषित समाज के लोगों को दे दी जाये, तो मैं समझती हूं कि जो दूसरों के खेतों में महिलाओं का उत्पीड़न होता है, वह रुक सकता है।

महोदया, सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार को डर है कि दलित और शोषित समाज के लोग, अन्य पिछड़े वर्गों के लोग, रिलोजियस माइनोरिटीज के लोग, यदि इनकी संख्या का हिसाब लगाया जाए, तो इनकी आबादी 100 में से 85 है। यदि इन लोगों को रोजी-रोटी के साधन मिल जाते हैं और खेती करने के लिये जमीन मिल जाती है तो आज तो ये लोग खेती करने के लिये जमीन मांग रहे हैं, कल को ये शासन और प्रशासन पर न छा जायें। तो सरकार को यह भी डर है। तो इन सब बातों की तरफ हमें देखना चाहिये। जब हम कारण बताते हैं, तो कारण का हल ढूंढना भी जरूरी है। तो मैं समझती हूं कि यदि सरकार की नीयत साफ है, तो इस कारण का हल ढूंढा जा सकता है। यदि इसका हल निकाला जाये, सरकार के पास इसका हल है और यह बेहतरीन हल है, तो महिलाओं का उत्पीड़न काफी हद तक रुक सकता है। हमारी एक महिला सांसद ने बताया और उत्तर प्रदेश के कई हवाले दिये। मैं कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में नहीं किसी भी प्रदेश में चले जाइए, दलित और शोषित समाज की महिलाओं के साथ जुल्म और ज्यादतियां ज्यादा होती जा रही हैं। आज ही नहीं, मैं समझती हूं कि यदि हम अपनी धार्मिक पुस्तकों को देखें, अपने ग्रंथों को देखें तो उनमें भी महिलाओं को जलील किया गया है। मनुस्मृति को उठाकर देखें या रामचरित मानस में तुलसीदास ने भी लिखा है-ढोर, गवांर, शुद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी-उस नारी को शुद्र के बराबर कहा गया है अब शूद्र का क्या दर्जा हो सकता है जो मनुवादी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं वह अच्छी प्रकार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं मध्य प्रदेश में लगातार अखबारों में आ रहा है महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में। मध्य प्रदेश आजकल महिला उत्पीड़न में पहले नंबर पर चल रहा है। मैं आप को यह बताना चाहता हूं यह कोई नई बात नहीं है। जब बी०जे०पी० की सरकार थी और उसके बाद जब गवर्नर रूल लागू हुआ तो उस मौके पर छत्तीसगढ़ इलाके में शिवनी नारायण का मेला वहां पर लगता है जिस में एक शैड्यूल्ड कास्ट की महिला के साथ बलात्कार किया गया था। उस मौके पर हमारे विधायक दल के दाऊराम रत्नाकर जो मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ इलाके से एम.एल.ए. चुनकर आए थे उन्होंने उस अत्याचार के खिलाफ ऐजिटेशन किया। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐजिटेशन करने वालों को जेल में डाल दिया और इतना ही नहीं, जिन लोगों ने ऐजिटेशन किया, जिन लोगों ने उनका साथ दिया उन के घरों में जाकर दलित और शोषित समाज के लोगों को जुल्म और ज्यादती का शिकार बनाया गया। इतना ही नहीं, जो बलात्कारी थे वह सरे आम घूमते रहे।

महोदय, अभी दो तीन दिन पहले ग्वालियर जिले में मुरेना का हवाला हमारी कुछ बहनों ने दिया है। उस संदर्भ में मैं बताना चाहती हूं कि जब मध्य प्रदेश की सरकार ने बयान दिया तो यह बयान दिया कि उस शैड्यूल्ड कास्ट की लड़की के साथ जो अन-मैरिड थी, दो बार उसके साथ बलात्कार हुआ तो उस को दो बार मुआवजा मिल जाएगा। दुख की बात है कि एक शैड्यूल्ड कास्ट की लड़की के साथ बलात्कार होता है तो उस की पूर्ति पैसे से की जाती है। मैं समझता हूं कि इसी प्रकार से यह रवैया रहेगा, सरकार का ऐसा रवैया रहेगा, प्रदेश की सरकार का यही रवैया रहेगा तो महिलाओं के साथ उत्पीड़न कभी बंद होने वाला नहीं है। यह उत्पीड़न का सिलसिला चलता रहेगा। इतना ही नहीं, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि काश्मीर के अंदर मुस्लिम महिलाओं के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। वहां सवर्ण हिन्दू तो भागकर आ गए,

लेकिन काश्मीर के मुसलमानों ने आतंकवादियों का मुकाबला किया और वह डटे रहे। इसलिए काश्मीरी मुस्लिम महिलाओं के साथ जो वहां पर डटी हुई हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? फौज और पुलिस के लोग और बड़े से बड़े अधिकारी जांच पड़ताल के बहाने उन के घरों में जाते हैं और मुस्लिम महिलाओं के साथ जुल्म और ज्यादतियां करते हैं। उन के ज्यादतियों के बारे में कई अखबारों में भी आया है। अब हिन्दू-मुसलमान के नाम पर भी महिलाओं के साथ ज्यादतियां होती हैं। यदि हम महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में जिक्र ही करते रहें तो मैं समझती हूं कि इसका अंत नहीं हो सकता। लेकिन अंत तो सरकार के हाथ में है। यदि सरकार की नीयत साफ हो। यदि सरकार की नीयत साफ हो जाए तो मैं समझती हूं कि सरकार के हाथ में इसका इलाज है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए। कानून तो कुछ बने हुए हैं लेकिन उनको लागू नहीं किया जाता है।

5-00 P.M. कानून बने हुए हैं लेकिन लागू क्यों नहीं किये जा रहे हैं? क्योंकि जो महिलाओं के ऊपर जुल्म करते हैं, अपराध करते हैं उनके रिश्तेनातेदार बड़े बड़े ओहदों पर बैठे रहते हैं और उनको वहां से संरक्षण प्राप्त होता है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) माननीय सदस्या स्थान ग्रहण कीजिए। 5 बज चुके हैं, आज यह पूरा नहीं हो सकेगा, इसलिए सदस्य बतायें सदन की क्या भावना है। हमारे सामने पहले के दो उदाहरण भी हैं।

April 30, 1954. There is another example, another precedent—December 10, 1984. In these two instances, the discussion on the Private Members' Resolution was carried over to the nest Session on a motion for adjournment of the debate to the next Session.

SHRI VIREN J. SHAH: Madam Vice-Chairman as the mover of the Resolution, J move that this matter may be held over to the next Session. The House may permit it and the Chairman's approval may be obtained for that purpose.

SHRIMATI RENUKA CHOW-DHURY: Madam, I second the proposal. *(Interruptions)* Take the sense of the House and then convey it to the Chairman.

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Madam, may I say something?

SHRI VIREN J. SHAH: You can take the vote, Madam The sense of the House is clear. All sides are for it. The hon. Minister also wants it to be continued. What is the problem with Mr. Hanumanthappa ? Memebrs from all the parties are for it. The matter is non-political. It is supported by Members from all the parties. Madam Vice-Chairman, please take the sense of the House and decide.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Why do you jump for vote, Mr. Shah?

SHRI VIREN J. SHAH: Mr. Hanumanthappa, I am only asking the Chair to take the sense of the House.

SHRI MD. SALIM: If he has some thing to say, he may say.

SHRI H. HANUMANTHAPPA:I may have a different point of view. I wanted to say...

SHRI MD. SALIM: Madam, please allow him.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Okay. Mr. Hanumanthappa, if you want to say something, you can.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: All right; I don't speak.

SHRIMATI RENUKA CHOW-DHURY; Mr. Hanumanthappa is upset. I do not like that Please say what you want to say.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: You do not want me to say.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: We want.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Is it the sense *at* the House that this Resolution should be carried over to the next Seasson?

HON. MEMBERS: Yes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Okay. This will be done.

STATEMENTS BY MINISTERS

Price policy for Raw Jute for 1994-95 season

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): The Government of lndia has fixed the Minimum Support Price (MSP) for TD-5 grade of raw jute in Assam for 1994-95 season at Rs. 470 per quintal. This marks an increase of Rs 20 per quintal over the price fixed for the 1993-94 season. The corresponding Minimum Support Prices of other varieties and grades of raw jute shall be fixed by the Jute Commissioner of India. Ministry of Textiles, in the light of normal market price differentials.

The Jute Corporation of India (ICD will undertake price support operations in raw jute as and when required. Adequate funds will be provided in time to ICT to perform its functions efficiently.

The increase in Minimum Support Price is expected to encourage the farmers to invest more in jute cultivation and raise the production/productivity of raw jute.

THE VICE-CHARMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Now. clarifications. I have some names in front of me. Mr. John F. Fernandes. Not here Mr. Satya Prakash Malaviya. Not here. Dr. Biplab Dasgupta. Not here. Mr. N. Giri Prasad.

SHRI N. GIRI PRASAD (Andhra Pradesh): Madam Vice-Chairman, the statement made by the hon Minister on the price for jute is highly disappointing. I say this because the increase is only Rs. 20 per quintal over the price fixed for the 1993-94 season. As everybody knows, the inflation rate is more than 10 per cent. Even if we take it as the basis for calculation, the Government should have increased it atleost by Rs. 50. Why has the Government fixed it only at Rs. 20? Just sometime before, the Minister for Civil Supplies was saying that they were increasing the price of agricultural produce at the rate of Rs. 55, but it seems this doesn't apply to raw jute. In my State, of course, there is a small area in the north coastal districts like Srikakulam where jute is grown but, as far as I understand, the per acre yield is very low and the price also is very low. In this background, in order to help the jute growers ,the Govemment must come forward to increase it at leas; by Rs. 50. Otherwise it will not be remunerative.

Madam, you please see the last paragraph of the statement: "The increase in Minimum Support Price is exepcted to encouarge the farmers *to* invest more in jute cultivation and raise the production/ productivity of raw jute." With this meagre increase of Rs. 20, can you expect to achieve this aim of encouraging the farmers to invest more ? On what basis can they invest? There should be some income to invest. There is no income. It does not give any income; it does not even neutralize the inflationary pressure Then how can they increase the production/productivity? So I request the Minister to consider raising the price at least to that level.

I think, even after increasing the price, the Agriculture Ministry needs to consider whether it is not necessary to divert part of this cultivation to other remunerative crops. T am afraid, in spite of the best efforts being made in most of the places, jute cultivation is not proving to be remunerative. That is why they can advise or persuade the peasants, wherever they can grow alternative crops, to shift to some other crops, besides increasing the iute price a bit more.

Thank you.

श्री सोमपाल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया माननीय कृषि मंत्री जी ने जो अभी वक्तव्य दिया इस